दिनांकः 09.03.2024

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जलालपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1/0.44, 2/0.41 व 3/0.41 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हैक्टर में प्रार्थिया का 1/4 हिस्सा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका साबिक खसरा नम्बर 1 था। इसी प्रकार ग्राम तालचिडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1062/0.66 हैक्टर जिसका साविक खसरा नम्बर 354/2 रकबा 2.12 विस्वा था जिसकी प्रार्थिया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार ग्राम जहाजपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 99, 100, 101, 102, 108, 109 कुल किता 6 कुल रकबा 2.94 हैक्टर हिस्सा 1/12 एवं 406, 454 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 हैक्टर में प्रार्थिया का हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड की जमामंदियों में प्रार्थिया का नाम रुपन्ती 'पत्नि उदयसिंह दर्ज है जबकि सही नाम रुमन्ती पत्नि उदयसिंह है। यह राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया है जिसे धाररा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आराजी में से जमीन जरिये रजिस्ट्रिया तहसील कार्यालय महवा के माध्यम से क्रय की गई। दिनांक 04.07.1983 ग्राम जलाालपुर, दिनांक 09.04.1990 को ग्राम तालचिडी एवं दिनांक 26.09.1996 को ग्राम जहाजपुर तहसील महवा रजिस्ट्रिया होकर सही नाम रुमन्ती पत्नि उदयसिंह दर्ज करवाया था परन्तु सैटलमेन्ट के वाद एवं चौसाला जमामंदी परिवर्तन करते समय उक्त राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रार्थिया का नाम कही रुपन्ती व कही रुकमणी दर्ज कर दिया जो दुरुस्ती योग्य है। अतः प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में रुमन्ती पत्नि उदयसिंह दर्ज कराने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया के वकील एवं अप्रार्थी की वहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वहस का मनन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड व जन आधार कार्ड में सही नाम रुमन्ती पत्नि उदयसिंह जाति गुर्जर निवासी जहाजपुर तहसील महवा जिला दौसा अंकित है। वहस

उपखण्ड
महवा

के दौरान अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थिया का नाम रुपन्ती व रुकमणी के स्थान पर रुमन्ती पत्नि उदयसिंह जाति गुर्जर निवासी जहाजपुर तहसील महवा राजस्व रिकार्ड दर्ज करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय भूल है जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में हुई नाम अशुद्दि को शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा नम्बर 1 में वर्णित राजस्व रिकार्ड में खातेदार रुपन्ती एवं रुकमणी के स्थान पर रुमन्ती पत्नि उदयसिंह जाति गुर्जर दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार महवा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

CamScanner